न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास (अलवर)राज0

अध्यासित द्वारा:– श्री गंगाधर मीणा (आर.ए.एस.)

निर्णय तिथि
16.11.2022

प्रार्थना पत्र संख्या
14

प्रवेश तिथि
06.08.2019

उनवान

1. जयपाल पुत्र श्री सरदारसिंह ।
2. कृष्ण कुमार पुत्र श्री सरदारसिंह।
3. आजाद सिंह पुत्र श्री सरदारसिहं।
4. भगवान पुत्र श्री रामकंवार जाति अहीर निवासी ग्राम बोलनी तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0

:–प्रार्थीगण / सायलान

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार किशनगढबास (पैरोकार सरकार) तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0।
2. रामसिंह पुत्र भगवान।
3. होशियार सिंह पुत्र भगवान।
4. भगवान पुत्र बलदेव जाति अहीरान निवासी बोलनी तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0।

:–अप्रार्थीगण / गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा **111** एवं **128** राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट बाबत् कराये जाने पत्थरगढी।

.....

उपस्थितिः–

1. श्री अजय राव एडवोकेट प्रार्थी की और से।
2. श्री सुधीर गुप्ता एडवोकेट अप्रार्थी की और से

–: निर्णयः–

पत्रावली पेश हुई प्रार्थना पत्र के सूक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से हैः– वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 197 रकबा 0.86 हे0 बा0अ0 सालिम दर्ज खाता नंबर 392 राजस्व ग्राम बोलनी तहसील किशनगढबास प्रार्थीगण समभाग के खातेदारान काबिज आराजी है। जिस आराजी की बाबत् प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र बाबत् पैमाइश व पत्थरगढी तहसीलदार किशनगढबास को पेश किया। जिस पर तहसीलदार किशनगढबास के आदेश दिनांक 03.07.2019 की पालना में मय हल्का पटवारी बोलनी मौके पर पहुँचे तथा अप्रार्थीगण के प्रभाव में आकर सही प्रकार से पैमाईश कर सीमाज्ञान नहीं कराया गया और ना ही प्रभाव वश अप्रार्थीगण को बुलाया गया तथा बिना गिरदावर कानूनगो की गैर मौजूदगी में जरीब चलाकर पैमाईश रिपोर्ट पेश कर दी। जिसकी प्रमाणित प्रति संलग्न प्रार्थना पत्र पेश की है। जबकि मुताबिक नक्शा लठ्ठा प्रार्थीगण की जमीन का पूर्वी सिरा अप्रार्थीगण ने 4–4 फुट दबाते हुए जबरन मिट्टी डाल दी। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण उपरोक्त पैमाईश रिपोर्ट से सन्तुष्ट नहीं है, तथा पुनः पैमाईश कराकर पत्थरगढी कराना चाहते है। जिससे की मुकदमें बाजी से बचा जा सके।

अप्रार्थीगण जानबूझ कर राजस्व कर्मचारियों को पैमाईश नहीं करने देते है और डाली हुई मिट्टी के ऊपर ग्रेवल सडक वास्ते आवागमन बनाने की चेष्टा में है।

अतः आराजी खसरा नम्बर 197 रकबा 0.86 हे0 वाके ग्राम बोलनी तहसील किशनगढबास की पुनः पैमाईश एवं पत्थरगढी करायी जानी आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जावे एवं खसरा नम्बर 197 रकबा 0.86 हे0 वाके ग्राम बोलनी तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0 की पैमाइश एवं पत्थरगढी किये जाने के आदेश तहसीलदार किशनगढबास अथवा कानूनगो तथा हल्का पटवारी को दिया जावें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 02 लगायत 04 की की ओर से जवाब पेश किया गया। जवाबदेई आने के बाद उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मुताबिक पुनः पैमाईश एवं पत्थरगढी कराई जाने का निवेदन किया।

उभय पक्ष के वकील की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। आराजी खसरा नम्बर 197 रकबा 0.86 हे0 वाके ग्राम बोलनी तहसील किशनगढबास जिला अलवर की पुनः पैमाईश एवं पत्थरगढी कराया जाना उचित एवं न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि :–

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 197 रकबा 0.86 हे0 वाके ग्राम बोलनी तहसील किशनगढबास की पुनः पैमाईश की जावे एवं पत्थरगढी प्रार्थीगण एव अप्रार्थीगण एवं पडोसी काश्तकारों की मौजूदगी में अन्य किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो की जावे। साथ ही उक्त आदेश केवल पैमाईश एवं पत्थरगढी का है जिसमें किसी प्रकार का कब्जा नहीं सम्भलाया जावे। निर्णय की छायाप्रति पालनार्थ तहसीलदार किशनगढबास को भिजवाई जावे। खर्चा प्रार्थी स्वयं वहन करेगा। पत्रावली फैसल सुमार होकर बाद तकमील दाखिल लेख भण्डार हो, निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गंगाधर मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)